"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2017"

1. **प्रस्तावना:–**

उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है, जहां एक ओर आई.आई.टी. रूड़की, आई.आई.एम. काशीपुर, एन.आई.टी., जी.बी.पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक आस्थान जैसे हरिद्वार, पन्तनगर, कोटद्वार, काशीपुर, सेलाकुई, देहरादून व सितारगंज की स्थापना की गई है।

उत्तराखण्ड सरकार की स्टार्ट–अप नीति–2017 का उद्देश्य विभिन्न तकनीकी संस्थानों के छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित करने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।

2. **स्टार्ट–अप की परिभाषा:–**

पहचान किए गए उद्यमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किसी संस्था को निम्नानुसार **'स्टार्ट–अप'** माना जायेगा:–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक,
(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और
(ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा है;

पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जाएगा;

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार पहचान किये गये किसी स्टार्ट–अप को कर लाभ प्राप्त करने के लिये राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद (एस0एल0ई0आई0सी0)/भारत सरकार से पात्र व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण:–

1. कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रूपये से अधिक होने पर 'स्टार्ट–अप' के रूप में नहीं माना जाएगा।
2. संस्थान का अर्थ है–कोई निजी क्षेत्र लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के

तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत)।

3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:–

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा,

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा:–

(क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

(ख) एक समान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों,

3. <u>फोकस एरिया (विशिष्ट क्षेत्र):–</u>

स्टार्ट–अप पॉलिसी के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों के उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा:

i. कृषि आधारित उद्यम/उद्योग क्षेत्र।
ii. स्वास्थ्य क्षेत्र।
iii. जैव प्रौद्योगिकी (बॉयोटैक्नोलॉजी)।
iv. शिक्षा क्षेत्र।
v. ई–कॉमर्स।
vi. पर्यटन एवं परिवहन (यात्रा)।
vii. ऊर्जा, जल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन।
viii. परिवहन/ढुलान।
ix. सामाजिक उद्यम।

x. विनिर्माणक क्षेत्र
xi. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जीविकोपार्जन गतिविधियां।
xii. नैनोटैक्नोलॉजी।
xiii. खाद्य प्रसंस्करण एवं औद्यानिक गतिविधियॉ।
xiv. वस्त्र एवं परिधान।
xv. फैशन डिजाइनिंग।
xvi. आयुर्वेद।
xvii. पारम्परिक कलायें।
xviii. कृषि क्षेत्र में उच्च तकनीकी प्रयोग गतिविधियॉ।
xix. डेयरी उत्पादन।
xx. पारम्परिक शिल्प।
xxi. पारम्परिक वस्त्र/परिधान के डिजाइन एवं उत्पादों में नवोन्मेष (Innovation)।
xxii. कॉयर/बांस जैसे पारम्परिक क्षेत्रों पर आधारित व्यवसायों में उत्पाद विविधिकरण/नवोन्मेषण।
xxiii. एनिमेशन और गेमिंग।
xxiv. सामाजिक और स्वच्छ तकनीक।
xxv. दृश्यात्मक प्रभाव।
xxvi. मोटर वाहन।
xxvii. पैकेजिंग।
xxviii. कोइ भी अन्य ग्रीनटेक प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा उत्पादन।
xxix. कौशल विकास।
xxx. विद्यालयों/संस्थाओं में विज्ञान अध्यापन।

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र जो कि राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

4. <u>नीति की समयावधिः–</u>

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षो तक प्रभावी रहेगी।

5. <u>उद्यमी एवं उद्यमशीलता की परिभाषाः–</u>

(i) **उद्यमीः–** उद्यमी वह व्यक्ति होता है, जो किसी नये उद्यम को शुरू करने की इच्छा रखता है एवं इस कार्य की परिणति के लिये उत्तरदायी होता है।

(ii) **उद्यमिताः–**उद्यमिता वह प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से नवीन/नवोन्मेषी विचार को वित्त एवं व्यवसायिक निर्णय क्षमता के माध्यम से एक आर्थिक वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यह एक नये संगठन के रूप में अथवा किसी परिपक्व संगठन के विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध अवसर के रूप में हो सकती है।

6. <u>राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषदः</u>–स्टार्ट–अप प्रस्ताव एवं उद्यमियों का चयन राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा किया जायेगा। उक्त परिषद् का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

i.	राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इन्नोवेटर (नवोन्मेषी)/सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	–	**अध्यक्ष**
ii.	प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन	–	**उपाध्यक्ष**
iii.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके प्रतिनिधि	–	**सदस्य**
iv.	निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	–	**सदस्य सचिव**
v.	भारतीय प्रबंधन संस्थान/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/एन0आई0टी0 के प्रतिनिधि	–	**सदस्य**
vi.	सॉफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0)	–	**सदस्य**
vii.	निजी उद्यमी/ऐंजल निवेशक/वेंचर केपिटलिस्ट के दो प्रतिनिधि जिनके द्वारा सबसे अधिक स्टार्टअप उद्यमियों को सहयोग प्रदान किया गया हो	–	**सदस्य**
viii.	कंपनी लॉ एक्सपर्ट/लीगल एक्सपर्ट जिनको पेटेन्ट/आई0पी0आर0 में विशेषज्ञता हो	–	**सदस्य**
ix.	विधि परामर्शी	–	**सदस्य**
x.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के प्रतिनिधि	–	**सदस्य**

xi.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xii.	उद्योग संघ/सी0आई0आई0/पी0एच0डी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xiii.	सिडबी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xiv.	विषय की आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ	–	आमंत्रित सदस्य

7. <u>नोडल इन्क्यूबेटरः–</u>

प्रतिष्ठित संस्थानों यथा एसटीपीआई/आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी में स्थापित इन्क्यूबेटरों को नोडल इन्क्यूबेटर के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

8. <u>इन्क्यूबेटर/प्रौद्योगिकः–</u>

इन्क्यूबेटर का तात्पर्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिक व्यापार इन्क्यूबेटर से है।

9. <u>उद्देश्यः–</u>

नीति का उद्देश्य निम्न उपलब्धियाँ प्राप्त करना है:–

i. उत्तराखण्ड में इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना।
ii. प्रतिष्ठित उद्यमों को राज्य में ऐंजल निवेशक/वेंचर केपिटलिस्ट के रूप में निवेश हेतु आकर्षित कर नये उद्यमियों के लिये सुदृढ़ वातावरण की उपलब्धता।
iii. नीति के अंतर्गत राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कम से कम 2–3 तकनीकी–व्यवसायिक इन्क्यूबेटर/एक्सलेरेटरों की स्थापना।
iv. स्टार्ट–अप के तकनीकी उत्पादों को प्रोत्साहन/सुगमता/बढ़ावा देना।
v. उत्तराखण्ड को देश में उद्यमिता हब के रूप में स्थापित करना।
vi. विभिन्न माध्यमों से 07 वर्षो के भीतर राज्य में कुल 2 लाख वर्गफीट इन्क्यूबेशन क्षेत्र का विकास करना।
vii. न्यूनतम 500 करोड़ तक के पूंजी निवेश की Angel/उद्यम पूंजी निवेशकों के माध्यम से उपलब्धता कराना।
viii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को केन्द्र सरकार की अटल इनोवेशन फण्ड (A.I.F.) एवं स्टार्ट–अप इंडिया योजना के साथ केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में जोड़ना।
ix. महिला एवं एस.सी/एस.टी. वर्ग को उद्यमी के रूप में प्रोत्साहित किया जाना।

x. राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शकों का समावेश करते हुये राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल (SLEP) की स्थापना की जायेगी, जिसके द्वारा संभाव्य स्टार्ट–अप उद्यमियों को स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जायेगा। राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल द्वारा स्टार्ट–अप को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा तथा स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेशन व वृद्धि अवस्था तक पहुंचने में सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल (SLEP) राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद की आनुषंगी घटक के रूप स्टार्ट–अप उद्यमियों के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान करेगी।

xi. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के वित्तीय सहयोग से आई0आई0ई0 (एस्कार्ट फार्म) काशीपुर में टी0बी0आई0 की स्थापना।

xii. स्टार्ट–अप को स्टार्ट–अप से इन्क्यूबेशन एवं वृद्धि अवस्था में विकसित किये जाने की सुविधा प्रदान करना।

xiii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को सामान्य प्रयोगशाला, सभागार, शोध एवं विकास प्रयोगशाला, छात्रावास, आवास इत्यादि की सुविधा प्रदान करना।

xiv. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आई0आई0टी0 रूड़की, आई0आई0एम0 काशीपुर, एन0आई0टी0, एस0टी0पी0आई0 परिसर में नोडल इन्क्यूबेटर सेन्टर स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

xv. एस0टी0पी0आई0 इन्क्यूबेटर का आई0टी0, आई0टी0ई0एस0 एवं इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर स्टार्ट–अप के लिये उपयोग किया जायेगा।

10. <u>इन्क्यूबेटरों की स्थापना</u>:– इन्क्यूबेटर की स्थापना निम्न तालिकानुसार होगी:–

आइडिया हब (Idea Hub) (स्थान लगभग 10000 वर्ग फीट, जिसमें कम्प्यूटर की उपलब्धता तथा 2 GBPS में इन्टरनेट कनेक्टिविटी)	सम्भाव्य स्टार्ट–अप एक साथ बैठकर अपने विचारों का आदान–प्रदान एवं अभिनव विचारों को डिस्पले बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
	इनमें से सबसे प्रभावशाली विचारों को चुना जायेगा।
टिंकरिंग लैब (Tinkering Lab) (स्थान लगभग 8000 वर्ग फीट, जिसमें टेस्ट लैब, मैन्टर्स/विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे)	आईडिया हब में चुने गये प्रभावशाली विचारों को विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो उनका परीक्षण व्यावसायिक मूल्य तथा बाजार की दृष्टि से करेगें।

	विशेषज्ञों द्वारा उक्त विचारों पर चर्चा की जायेगी तथा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में तैयार किये जाने हेतु बाजार की आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन किये जायेंगे।
इन्क्यूबेशन सेन्टर/टी0बी0आई0 (स्थान–8000–10000 वर्गफीट मार्केटिंग विशेषज्ञता एवं वित्तीय सहायता आदि)	टीबीआई को स्थान/सुविधायें यथा शोध एवं विकास लैब, फैब लैब आदि प्रदान की जायेगी, जिससे कि शोध व नवप्रवर्तन तीव्र हो सके। इसके साथ–साथ मार्केटिंग, विधि, वित्त व तकनीक आदि के क्षेत्र में भी प्रदान किया जायेगा।

11. नीति के सामान्य घटक (components):–

i. सरकार द्वारा एक पेशेवर प्रबन्धन स्टार्ट–अप हब स्थापित किया जायेगा। इस स्टार्ट–अप हब में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट, बिजली–पानी और कार्यालयी सुविधाओं के साथ–साथ प्लग एण्ड प्ले की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्टार्ट–अप हब कार्यात्मक विशेषज्ञों के साथ एक पेशेवर टीम द्वारा स्थापित, प्रबन्धित व संचालित किया जायेगा। यह हब विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय करते हुये स्टार्ट–अप उद्यमियों को प्रोटोटाइप, डिजाईन और परीक्षण की सुविधा उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।

ii. स्टार्ट–अप हब प्रतिष्ठित वित्त पोषक एजेन्सियों तथा निवेशक नेटवर्कों को कार्यालयी सुविधायें प्रदान करेगा।

iii. स्टार्ट–अप कार्यक्रम टीयर–1, टीयर–2 व टीयर–3 के क्रम में चलाया जायेगा। टीयर–1 में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, टीयर–2 में निजी इंजीनियरिंग कालेज, बिजनेस स्कूल तथा क्षेत्रीय संस्थान एवं टीयर–3 में डिग्री कालेज तथा ग्रामीण इलाकों में स्थित संस्थान शामिल होंगे।

iv. राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट–अप उद्यमियों को उद्योगों के साथ सामंजस्य हेतु मंच (Platform) उपलब्ध कराया जायेगा।

v. प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट दिशा–निर्देश का सामंजस्य करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का समन्वय किया जायेगा।

vi. सरकार द्वारा राज्य में स्थापित टी.बी.आई. (Technology Business Incubators) के आयोजक संस्थाओं को स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उचित परितंत्र (Ecosystem) प्रदान किया जायेगा।

vii. राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को शोध संस्थानों, सेन्टर, उद्यमियों व अन्य स्टेक होल्डर्स आदि के साथ सम्पर्क हेतु इलेक्ट्रानिक मंच (Platform) प्रदान किया जायेगा।

viii. उच्च शिक्षा के शासकीय संस्थान में नवप्रवर्तन आधारित इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी।

ix. राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा पीपीपी मोड पर सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) (वेयरहाउस, भण्डारण सुविधा, गुणवत्ता मापन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि) की सुविधा स्टार्ट–अप उद्यमियों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

x. राज्य सरकार उद्यमियों को विनिर्माणक एवं डिजाइन स्टूडियो क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिये उच्च स्तरीय FABLABs की स्थापना करेगी।

xi. सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर केन्द्रों के प्रारम्भिक बैच/समूहों की प्रगति का SLEP के माध्यम से समुचित अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे आगामी बैचों के लिये उपयुक्त वातावरण सृजित किया जा सके।

xii. सरकार द्वारा आई.आई.एम., काशीपुर एवं आई.आई.टी., रूड़की के सहयोग से नवीन तकनीकी क्षेत्र में पूर्व प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगी।

xiii. विद्यालयी पाठ्यक्रम में उद्यमिता का समावेश किया जायेगा।

xiv. राज्य सरकार द्वारा स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर उद्यमिता प्रोत्साहन के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। स्टार्ट–अप के समस्त अंशधारियों से अपेक्षित होगा कि वे ग्रामीण नवप्रवर्तनों को भी प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं, जागरूगता कार्यक्रम एवं प्रचारक गतिविधियॉ चलायेंगे। राज्य सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों पर अधिकतम रू0 20,000/– प्रति आयोजन तक का आर्थिक सहयोग दिया जायेगा।

xv. छात्रों की औद्योगिक सेमिनार, प्रोजैक्ट सेमिनार व औद्योगिक भ्रमण हेतु टी.बी.आई. (Technology Business Incubator) व औद्योगिक आस्थानों में भ्रमण की अनुमति।

xvi. स्टार्ट–अप आईडिया पर काम कर रहे छात्र उद्यमियों (किसी भी ग्रेजुएशन वर्ष के) को उनके स्टार्ट–अप प्रोजैक्ट को अंतिम वर्ष के प्रोजैक्ट में परिवर्तित करने की अनुमति।

xvii. प्रतिभाशाली स्टार्ट–अप, कॉलेज के छात्रों को देश के श्रेष्ठ स्टार्ट–अप स्थलों के भ्रमण पर भेजा जायेगा।

xviii. स्टार्ट–अप संस्थानों के आपसी सामन्जस्य के माध्यम से नवाचारी (Innovative) उत्पादों के निर्माण के उद्देश्य से इन्क्यूबेटर में इनोवेशन क्षेत्र स्थापित करने के लिये

राज्य के विभिन्न विभागों को नवाचारी क्षेत्र, जिसमें उनकी आवश्यकतायें इन्क्यूबेटर से पूरी हों, प्रोत्साहित किया जायेगा।

xix. राज्य द्वारा मार्गदर्शन को संस्थागत रूप प्रदान किया जायेगा।

xx. तकनीकी वाणिज्य मेलों का प्रतिवर्ष दो बार राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद की देखरेख में आयोजन किया जायेगा जिससे कि स्टार्ट–अप हेतु वातावरण सृजित किया जा सके।

12. <u>स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर को सामान्य वित्तीय सहयोगः–</u>

राज्य की एम.एस.एम.ई. नीति में प्राविधानित समस्त आदान के साथ ही निम्न अतिरिक्त लाभ स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेटर के होस्ट संस्थान व एसलरेटर को अनुमन्य होंगे।

12.1 सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अधीन राज्य में स्टार्टअप वातावरण के सुदृढीकरण के उद्देश्य से राज्य के सरकारी उपक्रमों को नये कम्पनी अधिनियम–2013 के प्राविधानों के अंतर्गत इन्क्यूबेटर के लिये कार्पस फण्ड का निर्माण अनिवार्य कर दिया जायेगा।

12.2 राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले इन्क्यूबेटर परियोजनाओं को स्टार्ट–अप नीति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् 02 वर्ष की समयावधि तक भूमि एवं भवन के अतिरिक्त किये गये पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान अनुमन्य होगा। इस उपादान की अधिकतम सीमा रू0 2 करोड़ होगी। राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त उपादान अथवा मौद्रिक सहायता उपर्युक्त के अतिरिक्त होगी।

13. <u>स्टार्ट–अप नीति के घटकः–</u> नीति के अंतर्गत स्टार्ट–अप/इन्क्यूबेटर/नोडल इन्क्यूबेटर को विशेष प्रोत्साहन/सहायता निम्नवत प्रदान की जायेगीः–

(क) <u>स्टार्ट अपः</u>–स्टार्ट–अप उद्यमी को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जायेगा जो कि निम्नवत हैः–

क0स0	विषय–वस्तु	आरंभिक चरण	इन्क्यूबेशन चरण	वृद्धि चरण
1	परिभाषा	इकाई को अपने उत्पादों को पायलट परियोजना के रूप में राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना	एक बार पायलट परियोजना सफल होती है तो राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद द्वारा इकाई को कम्पनियों एवं उत्पादन	जिन इकाईयों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अपने उत्पाद विकसित किये जायेंगे उन्हें राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद के

		होगा।	के लिये स्थानीय उत्पादन विकास करना होगा।	निर्णयानुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा।
2	समयावधि	पात्रतानुसार नये उद्यमी	प्रारम्भिक चरण के दो वर्ष के अन्दर तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इकाईयां	इन्कयूबेशन चरण से 02 वर्ष के भीतर स्केल अप चरण में आने वाली इकाईयां
3	आधारभूत संरचना	1. आईडिया हब निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। 2. सरकार स्टार्ट–अप उद्यमियों को उद्योगों के साथ संवाद हेतु मंच प्रदान करेगी। 3. राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा चयनित स्टार्टअप को रू0 10000.00 प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। 4. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्अअप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/रू0 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया	1. सरकार द्वारा स्टार्टअप को शोध संस्थानों, विशेषज्ञों, उद्यमियों से जुड़े रहने के लिये इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा। 2. राज्य नवोन्मेश परिषद द्वारा चयनित शोध एवं विकास कार्यों हेतु रू0 25000.00 प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। 3. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/रू0 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक	1. स्टार्ट–अप के लिये सामान्य सुविधा केन्द्रों (गोदाम, भण्डारण सुविधा QA/QC प्रयोगशाला) को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जायेगा। 2. सरकार राज्य में सफल उद्यमियों को उच्च तकनीक प्रयोगशाला एवं परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। 3. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्अअप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/रू0 5 प्रति वर्ग

		जायेगा। 5. अनुसूचित जाति/ जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।	स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। 4. अनुसूचित जाति/ जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी। 5. पेटेन्ट प्रक्रिया पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेन्ट की दशा में अधिकतम रू0 50 हजार तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट रू0 02 लाख तक की जायेगी, जिसमें 30 प्रतिशत आवेदन चरण पर, 30 प्रतिशत प्रक्रिया चरण पर तथा 40 प्रतिशत प्रमाणन प्राप्त होने पर किया जायेगा।	फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। 4. अनु सूचित जाति/ जनजाति/महिला स्टार्टअप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 स्टाम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी। 5. साझा सेवायें जैसे कानूनी, एकांउटिग प्रौद्योगिक, पेंटेट निवेश, बैंकिग आदि उपलब्ध करायी जायेगी। 6. विशेषज्ञ एवं Mentor का राज्य उद्यमिता पैनल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 7. सभी विश्वविद्यालय एवं कालेज स्टार्ट–अप छात्रों की टीम जो स्केल अप चरण तक जा सकती हो, को 20 प्रतिशत उपस्थिति में छूट दे सकते हैं।

				8. राज्य सरकार द्वारा विपणन एवं प्रोत्साहन हेतु कुल लागत का 20 प्रतिशत तक अधिकतम रू0 5 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। 9 पेटेन्ट प्रक्रिया पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेन्ट की दशा में अधिकतम रू0 50 हजार तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट रू0 02 लाख तक की जायेगी, जिसमें 30 प्रतिशत आवेदन चरण पर, 30 प्रतिशत प्रक्रिया चरण पर तथा 40 प्रतिशत प्रमाणन प्राप्त होने पर किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त स्टार्ट अप को निम्न सुविधायें प्राप्त होंगी:–

(ii) <u>स्टार्ट–अप वित्त पोषण:–</u> स्टार्ट–अप कार्यक्रम में चयन के तत्काल बाद प्रत्येक स्टार्ट–अप का सम्भाव्य मूल्यांकन किया जायेगा और वित्त पोषण हेतु इसी मूल्यांकन को न्यूनतम आधार माना जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा संचालित योजनाओं, जिनके माध्यम से आसान शर्तों पर (कोलेटरल फ्री ऋण, सॉफ्ट लोन) ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं, का विस्तार करते हुए स्टार्ट–अप को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। के.एफ.सी. जैसे संस्थानों को

भारत सरकार की योजनाओं के समरूप योजना संचालित किये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा और इन संस्थानों को गारंटी उपलब्ध कराते हुए गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों (NPA) की हानि की प्रतिपूर्ति, सम्पूर्ण लोन के 10 प्रतिशत सीमा तक की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर जो भारत सरकार की "Seed Fund" योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराते हुए स्टार्ट–अप हेतु उपलब्ध धनराशि को 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और अन्य इन्क्यूबेटरों को भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप Seed Fund उपलब्ध कराया जायेगा। **(स्टार्ट–अप मूल्यांकन की रूपरेखा विशेषज्ञों से परामर्श के उपरान्त ऑनलाईन प्रकाशित की जायेगी।)**

(iii) <u>राज्य का सहयोगः सामान्य उपादानः–</u> राज्य सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में प्रदत्त समस्त वित्तीय एवं अन्य उपादान इन्क्यूबेटर, एसलरेटर व स्टार्ट–अप के लिये भी अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित एम.एस.एम.ई. नीति, में लागू विभिन्न प्राविधानित प्राविधानों के अनुरूप वर्गीकृत क्षेत्रों के अनुसार स्टार्ट–अप को भी लाभ देय होंगे।

(अ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–Z-13025/39/2015-LR Cell दिनांक 3 जून, 2016 द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदत्त कारखाना अधिनियम, श्रम ठेका अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत भुगतान तथा विशिष्ट शिकायतों से उत्पन्न निरीक्षण को छोड़कर अन्य निरीक्षण से मुक्त रखा जायेगा। स्टार्ट–अप को कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान एवं श्रम ठेका अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में स्व–प्रमाणपत्र (Self Certification) दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ब) <u>चैलेंज ग्रांट द्वारा इनोवेशन (नवाचार):–</u> सरकार चैलेंज हंट के माध्यम से उद्यमियों एवं छात्रों के मध्य नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और इनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु निर्मित नवाचारी उत्पाद को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करना होगा।

(iv) वित्तीय वर्ष 2017–18 से पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था के रूप में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है। अतः संबंधित फर्म/इकाई को नियमानुसार कर जमा करना होगा तथा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता को बिक्री/सेवा की आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा कर की प्रतिपूर्ति बजट के माध्यम से इस प्रतिबंध के साथ की जायेगी कि उक्त आपूर्ति केवल उपभोक्ता (बी टू सी) को की गयी हो।

(v) निष्पादनः– ऐसे स्टार्ट–अप, जिन्होंने अपने आडिट खाते में लगातार वर्ष–दर–वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की हो, को टर्नओवर के 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 10 लाख तक इन्क्यूबेशन के 03 वर्षों तक अनुदान अनुमन्य होगा।

(ख) इन्क्यूबेटर्स :– मात्र वे इन्क्यूबेटर्स जो नीति के नोटिफिकेशन के उपरान्त पैरा संख्या–10 के अवस्थापना संरचना तथा राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद द्वारा अधिसूचित होंगे को निम्न लाभ प्रस्तावित हैः–

(i) राज्य सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर फण्ड के नाम से निधि गठित की जायेगी।

(ii) इन्क्यूबेटर्स को अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट के साथ/रू0 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इन्क्यूबेटर्स को भूमि क्रय लीज पर स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(iv) राज्य के समस्त इन्क्यूबेशन सेन्टर राज्य के डाटा सेन्टर के क्लाउड सर्वर के माध्यम से एकीकृत होंगे।

(v) इन्क्यूबेशन सेन्टर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं एवं विशेषज्ञों की सेवायें लेने पर वित्तीय सहायता अधिकतम रू0 01 लाख तक उपलब्ध कराई जायेगी।

(vi) राज्य सरकार के विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार इन्क्यूबेटर में नवप्रवर्तन क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि स्टार्ट–अप संस्थाओं द्वारा विचार–विमर्श कर अभिनव उत्पाद द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें।

(vii) अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।

(viii) राज्य सरकार द्वारा ऐसे इन्क्यूबेटर, जो भारत सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को मैचिंग ग्राण्ट 2 : 1 के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराया जायेगी।

(ix) सरकारी उपक्रम (लोक क्षेत्र उपक्रम):– सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अधीन राज्य में स्टार्ट–अप वातावरण के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य के सरकारी उपक्रमों को नये कम्पनी अधिनियम–2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर के लिये कॉपर्स फण्ड का निर्माण अनिवार्य कर दिया जायेगा।

(x) प्रशिक्षण सहायताः– इन्क्यूबेटर द्वारा निर्मित प्रति स्टार्ट–अप पर रू0 10,000 प्रतिवर्ष की दर से इन्क्यूबेशन की तीन वर्ष की अवधि तक अधिकतम 10 स्टार्ट–अप हेतु इन्क्यूबेटर को प्रशिक्षण सहायता प्रदत्त होगी।

(xi) <u>मानव पूंजी विकास कार्यक्रम को सहयोगः–</u> नियत नवाचार एवं उद्यमिता के सृजन के लिये इस नीति के अन्तर्गत विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी। यह कार्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिये अनुमोदित कार्यक्रम लागत का 10 प्रतिशत कार्यक्रम निष्पादन एवं अनुश्रवण शुल्क के रूप में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(ग). <u>नोडल इन्क्यूबेटर :–</u>

राज्य सरकार द्वारा नोडल इन्क्यूबेटर को अपने क्षेत्र से बाहर स्थान लेने पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट के साथ/रू0 8 प्रति वर्ग फुट की दर तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

14. <u>वित्तीय सहायता एवं कार्यक्रम संचालन का प्रशासन/अनुश्रवणः–</u> स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर को नीति की धारा–12 एवं 13 में उल्लिखित समस्त वित्तीय सहयोग हेतु राज्य नवोन्मेष परिषद (एसआईसी) द्वारा प्रशासित की जायेगी। समस्त सहयोग हेतु समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

15. <u>इन्क्यूबेटर की भूमिका/उत्तरदायित्वः–</u>राज्य सरकार से सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटर की निम्नलिखित भूमिका/ उत्तरदायित्व होंगेः–

15.1 इन्क्यूबेटर का संगठनात्मक उत्तरदायित्व एवं प्रबन्धन।

15.2 इन्क्यूबेटर हेतु सहयोगी वातावरण, पूंजीगत सम्पत्ति प्रबन्धन एवं संसाधनों की आवश्यकतानुसार स्थापना।

15.3 पीपीपी इन्क्यूबेटर की दशा में निजी भागीदार का उत्तरदायित्व होगा कि इन्क्यूबेटर स्टार्ट–अप की सहायता अवधि (सेवा स्टार्ट–अप की दशा में 03 वर्ष एवं उत्पाद स्टार्ट–अप की दशा में 05 वर्ष) समाप्त होने पर इन्क्यूबेटर हेतु आत्मनिर्भर व्यावसायिक मॉडल का सृजन करे।

15.4 एन्जल निवेशक/उद्यम पूंजी निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए स्टार्ट–अप इन्क्यूबेटर के लिये वित्तीय सहायता।

15.5 प्रोत्साहन अवधि के समाप्त होने पर राजस्व उत्पत्ति में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति निजी भागीदार द्वारा की जायेगी।

15.6 बदलती जरूरतों को देखते हुए, इन्क्यूबेटर कम्पनियों की प्रतिपूर्ति, पोषण एवं सहायता के लिये निजी भागीदार उत्तरदायी होंगे।

15.7 स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर के लिये कोष बढ़ाने एवं एन्जल इनवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिये निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

15.8 सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कौशल विकास एवं इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

16. **अन्य क्षेत्र विशेष इन्क्यूबेटरः–** राज्य में स्टार्ट–अप वातावरण को अधिक व्यापक क्षेत्रों तक विस्तारित करना होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्षेत्र विशेष हेतु इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी और बॉयो टैक्नॉलाजी, नैनो टैक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, एग्रो–बिजनेस, व्यवसाय–प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, फैशन डिजाईनिंग, आयुर्वेद, पर्यटन, रिटेल, कला इत्यादि क्षेत्र तक विस्तार किया जायेगा। सामूहिक एवं उच्च तकनीकी कृषि, डेयरी उत्पाद, परम्परागत् (शिल्प क्षेत्र में) भौगोलिक प्रतिदर्श आधारित उत्पाद, वस्त्र परिधान क्षेत्र में नवाचारी डिजाईन, उत्पाद संवर्धन/परम्परागत् क्षेत्र जैसे कॉयर/बांस में नवीन उत्पाद एवं डिजाइन आदि विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित किया जायेगा। ये इन्क्यूबेटर सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थापित किये जायेंगे और उनके द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के द्वारा ही शासित होंगे।

17. **तकनीकी स्टार्ट–अप हेतु "आरंभिक चरण, इन्क्यूबेशन चरण तथा वृद्धि चरण" मॉडल की स्थापनाः–**

17.1 बी.आई./टीबीआई द्वारा भारत सरकार एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों जैसे एस.ई.बी.आई./आर.बी.आई. आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए इष्टतम नीति निर्माण करते हुए बृहत कोष निर्माण के प्रयास किये जायेंगे।

17.2 सरकार सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के व्यापक विपणन हेतु बाजार निर्माता के रूप में कार्य करेगी। प्रदेश आधारित सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं एम.एस.एम.ई. उत्पादों के लिये एक नवान्मेषी स्टार्टअप–बूटअप–स्केलअप मॉडल अपनाया जायेगा। स्टार्ट–अप एवं एम.एस.एम.ई. (उत्तराखण्ड राज्य के) द्वारा प्रस्तावित सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं परियोजनाओं में विक्रेता चयन हेतु **"स्विस चैलेंज प्रक्रिया"** अपनाई जायेगी। स्टार्ट–अप को सरकारी खरीद में अनुभव और टर्नओवर में छूट दी जायेगी।

17.3 स्टार्ट–अप अवस्था में नवाचारी उत्पाद कम्पनियों को उनके उत्पाद को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर निरूपित करने के लिये प्रस्ताव के समयबद्ध अनुमोदन के लिए 04 माह का समय दिया जायेगा। इन्क्यूबेशन अवस्था में एक बार प्रयोग सफल होने पर सरकार सॉफ्टवेयर एवं विनिर्माणक (हार्डवेयर) कम्पनियों को स्थानीय–उत्पाद–विकास विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगी। वृद्धि अवस्था में ऐसी कम्पनियां, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड में अपने उत्पाद प्रसारित कर दिये गये हों, को **"उत्तराखण्ड राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद"** द्वारा निर्णित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे। राज्य की एम.एस.एम.ई. एवं स्टार्ट–अप को विभिन्न ई–गवर्नेंस

परियोजनाओं के निष्पादन के लिये सरकारी डाटाबेस, व्यवस्था एवं प्रक्रिया (उपयुक्त सुरक्षा उपबन्धों सहित) तक पहुंच हेतु प्राविधान राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से किये जायेंगे और इस प्रकार डाटाबेस, व्यवस्था एवं प्रक्रिया हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 04 सप्ताह में कर लिया जायेगा।

17.4 जनोपयोगी सेवा एवं ई–गवर्नेंस हेतु आवेदन विकसित करने के लिए स्टार्ट–अप के चयन एवं स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करने के लिये मुक्त नवोन्मेषी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

17.5 <u>स्टार्ट–अप रोल–मॉडल कार्यक्रमः-</u> इन्क्यूबेटर में से राज्य के श्रेष्ठ 50 स्टार्ट–अप को चयन प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित करते हुए उन्हें मार्गदर्शक (परामर्शदाता), उपलब्धता/सहयोग वित्तीय सहयोग, उत्पाद विकास, विपणन एवं लॉन्च सहयोग हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए सफल स्टार्ट–अप की संख्या में वृद्धि की जायेगी, जिससे अधिकाधिक रोल मॉडल विकसित किया जा सके। यह कार्यक्रम वार्षिक प्रवृत्ति का होगा और इस नीति की समयावधि अधिसूचना की तिथि से 07 वर्ष अथवा नई नीति निरूपित होने तक होगी। नीति का क्रियान्वयन **"राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद्"** के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।